

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा जिन रोजगार परक परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ऊन योजना, ऊन बैंक योजना एवं उत्तराखण्ड प्राकृतिक वनस्पति रेशा बैंक संचालित है। इन योजनाओं की विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है। संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से उद्धृत किया जा रहा है:—

आत्म निर्भर स्वपोषित समाज की ओर

उत्तराखण्ड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का स्वरूप

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि :

- अधिसूचना संख्या 3387 दिनांक 17 अगस्त 2002 द्वारा उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को स्वतंत्र आस्तित्व प्रदान करते हुए गठित कर मुख्यालय देहरादून में स्थापित किया गया।
- उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में 6 सरकारी एवं 7 गैरसरकारी सदस्य नामित किये गये।

उद्देश्य :

- सामाजिक उद्देश्य :- रोजगार प्रदान करना।
- आर्थिक उद्देश्य :- बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन।
- व्यापक उद्देश्य :- ग्रामीण जनता में आत्मनिर्भरता एवं सुदृढ़ ग्राम स्वराज की भावना पैदा करने का व्यापक उद्देश्य।

संगठनात्मक आधार :

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के संगठनात्मक आधार निम्न प्रकार स्थापित :

- उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय देहरादून में स्थापित।
- जनपदों में खादी एवं ग्रामोद्योग की योजनाओं को गति एवं उन पर प्रशासनिक नियन्त्रण रखने हेतु परिक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित :
(1)–कण्डोलिया (पौड़ी गढ़वाल)
(2)–कालाढूँगी (नैनीताल)
- खादी ग्रामोद्योग की विभिन्न योजनाओं में लाभाथिर्यो को प्रशिक्षण देने के लिए मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित :
(1)–कण्डोलिया (पौड़ी)
(2)–कालाढूँगी (नैनीताल)
- ग्रामोद्योग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड राज्य के समस्त 13 जनपदों में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय स्थापित।
- उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड ऊन योजना का क्रियावन्धन

सह निदेशक उद्योग (ऊन)	कार्यक्षेत्र	दोनों मण्डल कुमाऊँ, गढ़वाल
क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) अल्मोड़ा	कार्यक्षेत्र	अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़।
क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) चम्बा	कार्यक्षेत्र	हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून
क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) श्रीनगर	कार्यक्षेत्र	पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली
क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) जसपुर	कार्यक्षेत्र	उधमसिंगर, नैनीताल, चम्पावत

- क्षेत्रीय अधीक्षक कार्यालयों के उत्पादन केन्द्रों का संचालन :
- **चमोली**— गोपेश्वर, भीमतला, देवाल, रडुवा **रुद्रप्रयाग**—अगस्तमुनी **पौड़ी**— श्रीनगर, टिहरी— चम्बा **उत्तरकाशी**— डुण्डा **देहरादून**—भोगपुर, **पिथौरागढ़**— धारचूला, मुनस्यारी, **बागेश्वर** — कपकोट **अल्मोड़ा**—अल्मोड़ा /दुगालखोला **उधमसिंह नगर** — जसपुर, खटीमा, बिन्दुखत्ता।
- 07 बिक्री भण्डारों द्वारा विपणन का संचालन :
- **गढ़वाल**—श्रीनगर, **देहरादून**—मसूरी, सर्वचोक देहरादून **अल्मोड़ा**—अल्मोड़ा, **बागेश्वर**— कपकोट, टिहरी — नई टिहरी
- लोक वस्त्र इकाई हरिपुरा जसपुर/सूती वस्त्र तैयार करने की इकाई खादी कार्यक्रमों का उन्नयन :

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना:-

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत ऐसे उद्यमशील युवा उद्यमी, जो राज्य के मूल अथवा स्थाई निवासियों और जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, को स्वरोजगार के लिये प्रेरित करने एवं स्वयं के उद्यम, सेवा एवं व्यवसाय को प्रारम्भ करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिये अधिकतम रु0 25.00 लाख तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिये अधिकतम लागत रु0 10.00 लाख तक है।

कार्ययोजना:-

ऐसे उद्यमशील युवाओं/युवतियों, उत्तखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड-19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आये हैं, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों को स्वरोजगार की ओर अभिप्रेरित करने, उन्हें आवश्यक मार्ग दर्शन देने, विभिन्न स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापना से सम्बन्धित सभी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने तथा संचालित योजनान्तर्गत लाभान्वित कराये जाने की विशेष व्यवस्था जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से की जायेगी।

पात्रता :-

1. आवेदन की आयु आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिये।
2. शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
3. योजनान्तर्गत उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी।
4. आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिये।
5. आवेदन द्वारा विगत 5 वर्ष के भीतर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो, किन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा 5 वर्ष पूर्व भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना में लाभ प्राप्त किया गया और वह चूककर्ता नहीं है, तो वह अपने उद्यम के विस्तार के लिये योजनान्तर्गत वित्त पोषण प्राप्त कर सकता है।

6. आवेदन अथवा उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।
7. आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
8. विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट व्यवहार्यता देखते हुये "पहले आये पहले पाये" के आधार पर किया जायेगा।

आवश्यक दस्तावेज – योजना अन्तर्गत निम्न दस्तावेज का विवरण: –

1. मूल निवास प्रमाण पत्र।
2. पासपोर्ट साइज फोटो।
3. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
4. आधार कार्ड कॉपी
5. शपथ पत्र।
6. शिक्षा का प्रमाण पत्र।
7. बैंक डिटेल् कॉपी।
8. जाति प्रमाण पत्र।
9. दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
10. राशन कार्ड की कापी।

जनपदवार अधिकारियों का विवरण एवं सम्पर्क निम्नानुसार है –

क्र०	जनपद का नाम	कार्यालय दूरभाष संख्या
1	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय कालाढूंगी नैनीताल	05946-280247
2	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय पौडी गढ़वाल	01368-222281
3	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय पिथौरागढ़	05964-224170
4	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय नई टिहरी	01376-233092
5	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय देहरादून	0135-2532734
6	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय चम्पावत	05965-230898
7	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय अल्मोड़ा	05962-232306
8	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय उत्तरकाशी	01374-222401
9	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय उधमसिंह नगर	05944-250262
10	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय रुद्रप्रयाग	01364-233097
11	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय चमोली	01372-252286
12	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय हरिद्वार	01334-239346
13	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय बागेश्वर	05963-221454

1-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना भारत सरकार की योजना है। देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवक/युवतियों तथा विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को स्वरोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने तथा विभिन्न वर्गों एवं क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है।

योजनान्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वरोजगार स्थापना हेतु सेवा क्षेत्र हेतु धनराशि रू0 20.00 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र में धनराशि रू0 50.00 लाख तक का ऋण विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान का प्राविधान है। विशेष श्रेणियों के लिये मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत किये जाने का प्राविधान है। लाभार्थी का स्वयं का अंशदान सामान्य श्रेणी-10 प्रतिशत एवं विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिये 05 प्रतिशत।

आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज -

1. पासपोर्ट फोटो।
2. आधार कार्ड।
3. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
4. विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र, जहां भी आवश्यक हो।
5. ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र।
6. रोजगार संख्या के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)।
7. शिक्षा/ई0डी0पी0/कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।
8. कोई अन्य लागू दस्तावेज।

लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया:- लाभार्थियों का चयन ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित एजेन्सी द्वारा स्कोरिंग पद्धति के आधार पर किया जाता है, तत्पश्चात् श्रम आवेदन पत्रों को सम्बन्धित वित्तीय बैंकों को स्वीकृत/वितरित हेतु प्रेषित किया जाता है, वित्तीय बैंकों द्वारा उद्यमी के ऋण आवेदन पत्रों को स्वीकृत/वितरित करने के पश्चात् उद्यमी की मार्जिन मनी की उपयुक्त राशि को वित्तीय बैंक शाखा में उद्यमी के नाम एफ0डी0 रखी जाती है। तत्पश्चात् इकाई के भौतिक सत्यापन उपरान्त उद्यमी के खाते में समायोजित कर दी जाती है।

योजना की विशेषताएँ:- योजना की गाइड लाईन के अनुसार मांस/नशीली सामग्री/ बागवानी/ पशुपालन/खादी/पौली वस्त्र/पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली परियोजनाओं को छोड़कर अन्य किसी परियोजना को तैयार करके लाभार्थी अपना स्वरोजगार स्थापित कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

योजना अन्तर्गत वित्त पोषण:- बैंक वित्त के माध्यम से।

लाभार्थी का स्वयं का अंशदान:- विशेष श्रेणी-05 प्रतिशत, सामान्य श्रेणी-10 प्रतिशत।

पात्रता:-

1. 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्ति।
2. आयु की कोई उच्चतम सीमा नहीं है।
3. रू0 5.00 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिये कोई शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है।
4. विनिर्माण क्षेत्र की रू0 10.00 लाख से अधिक लागत तथा सेवा क्षेत्र में रू0 5.00 लाख से अधिक की परियोजनाओं के लिये आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

उत्तराखण्ड ऊन योजना

उत्तराखण्ड राज्य में ऊनी व्यवसाय की असीम संभावनाओं दृष्टिगत उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा राज्य में चम्बा, अल्मोड़ा व श्रीनगर मुख्य केन्द्र के अधीन उत्पादन केन्द्र के माध्यम से खादी के अन्तर्गत ऊन की कताई व बुनाई का कार्य किया जाता है। जिससे कि उत्तराखण्ड में रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकें।

उत्तराखण्ड ऊन योजना के अन्तर्गत अल्मोड़ा एवं श्रीनगर गढ़वाल केन्द्र में फिनिशिंग एवं कार्डिंग प्लान्ट तथा बागेश्वर एवं चम्बा (टिहरी) में कार्डिंग प्लान्ट स्थापित है जिसके माध्यम से स्थानीय कारीगरों, संस्थाओं/समितियों तथा विभागीय केन्द्रों द्वारा ऊन तथा ऊनी माल की कार्डिंग एवं फिनिशिंग की जाती है।

ऊन बैंक की स्थापना

उत्तराखण्ड में भेड़ पालन सीमान्त पर्वतीय जनपदों में एक अच्छा व्यवसाय है। उनके द्वारा उत्पादित ऊन के विपणन की व्यवसाय को उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के गठन के पूर्व नियोजित नहीं थी, जिससे भेड़ पालकों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड खादी बोर्ड द्वारा ऊन बैंक की स्थापना की गई है। योजना अन्तर्गत पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर स्थानीय भेड़पालकों की ऊन को विभागीय ऊन क्रय समिति के माध्यम से क्रय किया जाता है।

उत्तराखण्ड प्राकृतिक वनस्पति रेशा बैंक की स्थापना—

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा स्थानीय कच्चे माल के बेहतर उपयोग एवं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध डास कंडाली, भीमल एवं रामबांस का रेशा के उपयोग एवं उसके संग्रहण से रोजगार की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 2009-10 में रेशा बैंक की स्थापना की गयी थी।

क्र०स०	रेशे का विवरण	वर्तमान समर्थन मूल्य (रु०में)
1	डास कंडाली	रु० 65.00 प्रति कि०ग्रा०
2	भीमल	रु० 20.00 प्रति कि०ग्रा०
3	रामबांस	रु० 70.00 प्रति कि०ग्रा०

स्थानीय स्तर पर रेशा आधारित काफ़ट को विकसित करने के साथ-साथ स्थानीय निवासियों का जो रेशा संग्रह कार्य में लगे हैं, रोजगार से जोड़ा जा सकेगा।

उपरोक्त प्राकृतिक वनस्पति रेशा का क्रय निम्नानुसार जनपदों के केन्द्रों पर किया जायेगा।

क्र०	जनपद	क्रय केन्द्र	क्रय स्थान	अधिकृत कार्यालय	दूरभाष
1.	उत्तरकाशी	मोरी, बडकोट, गजोली, नैटवाड, पुरोला, धरासू।	सम्बन्धित ग्राम पंचायत भवन	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड चम्बा टिहरी।	01376-255203
2.	टिहरी	घुत्तू, हिण्डोलाखाल, बूढाकेदार, चिरकुटिया, चम्बा, घनसाली, भिलंगना, बछेलीखाल।	सम्बन्धित ग्राम पंचायत भवन		
3.	देहरादून	चकराता, सहिया, मालदेवता।	सम्बन्धित ग्राम पंचायत भवन		
4.	हरिद्वार	हरिपुर कला	शान्तिकुँज		
5.	रूद्रप्रयाग	जखोली, ऊखीमठ, गौरीकुण्ड, घाट, तिलवाडा, रतूडा, तस्तलगढ	सम्बन्धित ग्राम पंचायत भवन		

6	चमोली	मुन्डोली, एथला, सितेल, जोशीमठ, उरगम।	सम्बन्धित ग्राम पंचायत भवन	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड श्रीनगर गढवाल	
7.	पौडी	पोखरियालखाल, थलीसैण, नैनीडांडा, किल्बोखाल, दुगडडा, डाडामंडी, किमसार, सतपुली, पाबौ।	सम्बन्धित ग्राम पंचायत भवन		
8.	बागेश्वर	कपकोट, बागेश्वर, बैजनाथ।	सम्बन्धित ग्राम पंचायत भवन		
9.	अल्मोडा	मुक्तेश्वर, मजखाली, सोमेश्वर, रनमन, भगतोला, लमगडा, दन्याँ, कोसी, कटारमल, नन्दादेवी सोसाईटी फौर हैण्डलूम एण्ड नैचुरल फाईवर अल्मोडा।	सम्बन्धित ग्राम पंचायत भवन	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अल्मोडा	05962- 230112
10.	पिथौरागढ	मुनस्यारी, धारचूला, डीडीहाट, थल।	सम्बन्धित ग्राम पंचायत भवन		
11	चम्पावत	चम्पावत।	सम्बन्धित ग्राम पंचायत भवन	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन)	
12	उधम सिंह नगर	श्रीपुर बिचवा, जसपुर	सम्बन्धित ग्राम पंचायत भवन	उत्तराखण्ड खादी एवं	
13	नैनीताल	ओखलकाण्डा।	सम्बन्धित ग्राम पंचायत भवन	ग्रामोद्योग बोर्ड लोक वस्त्र इकाई जसपुर उधमसिंह नगर।	05947- 220012